भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2685
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

खजुराहो क्षेत्र में ओडीओपी

2685. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खजुराहो लोक सभा क्षेत्र में 'एक जिला एक उत्पाद' (ओ.डी.ओ.पी) के अंतर्गत जिला छतरपुर को सुपारी, कटनी को टमाटर और पन्ना का आंवला के लिए चुना गया है ;

(ख) क्या उक्त पूरा क्षेत्र श्रीअन्न, अनाज और दालों के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की खजुराहो क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने अथवा मेगा फूड पार्क स्थापित करने की कोई योजना है ताकि इस अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्र में रोजगारपरक खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक आधार का निर्माण किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर , कटनी और पन्ना जिलों के लिए निम्नलिखित ओडीओपी को अनुमोदित किया है :

ज़िला	**ओडीओपी**
छतरपुर	बेटल वाइन
कटनी	टमाटर
पन्ना	आंवला

(ख): जी, हां।

(ग) और (घ): आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी

और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" कार्यान्वित्त कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ,पीएमएफएमई योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। यह मूल्य श्रृंखला विकास और समर्थन अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

एमओएफपीआई मध्य प्रदेश सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना - प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) भी कार्यान्वित्त कर रहा है । पीएमकेएसवाई की घटक योजनाएं हैं - (i) मेगा फूड पार्क, (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन, (vi) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, (vii) मानव संसाधन और संस्थान, (viii) ऑपरेशन ग्रीन्स। पीएमकेएसवाई के इन घटकों के तहत, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण उद्योगों/अवसंरचना की स्थापना के लिए उद्यमियों/निवेशकों को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित 02 मेगा फूड पार्क (एमएफपी) परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:

क्र.सं.	**एमएफपी का नाम**	**ज़िला**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**
1	इंडस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	खरगोन	131.28
2	अवंती मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	देवास	146.07

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में अनुमोदित 04 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**एपीसी का नाम**	**ज़िला**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**
1	मैसर्स निमाड़ एग्रो पार्क	बड़वानी	31.55
2	मेसर्स प्रशुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	धार	23.60
3	मेसर्स इंदौर फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर	52.10
4	मैसर्स भारती एग्रो क्लस्टर	बेतुल	26.13

*****